उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी चका न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सी०सी०ए० (जिला बदर) वाद संख्या–110/2024

राज्य बनाम् सुभाष कुमार सिंह उर्फ बघवा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
05/11/24		

–:: आदेश ::–

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का ज्ञापांक–515/डी०सी०बी०, दिनांक–19.10.2024 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी सुभाष कुमार सिंह उर्फ बघवा, पे०–गोपाल सिंह, सा०–पतरातू बस्ती, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के अध्याय–02 की धारा–3(3) के तहत् जिला निष्कासन करने से संबंधित प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। अभियुक्त को उनका पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा लगाए गए आरोप के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत न करते हुए केवल कागजी खाना–पूर्ति की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक व निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित कराने हेतु अपराध नियंत्रण अधिनियम के मामलो पर त्वरित कार्यवाही अति आवश्यक है। अतः अधिनियम–2002 की धारा–3(2) के आलोक में यह विश्वास करने का आधार है कि उनको और अधिक समय देना लक्तीकरण या विलंब के उद्देश्य से किया जाना होगा। राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना।

उपरोक्त के आलोक में इस न्यायालय के सम्मुख तीन मुख्य विचारणीय प्रश्न है।

1. क्या झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–3(1) (a) के आलोक में विपक्षी असामाजिक तत्व है?
2. क्या झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–3(1)(b)(i) अथवा 3(1)(b) (ii) की शर्तें पुरी हो रही है?
3. क्या विपक्षी को जिला बदर का आदेश देने का reasonable ground है?

Sec 3. Externment etc. of anti- social elements. –

(1) Where it appears to the District Magistrate that-

(a) Any person is an anti-social element; and

(b) (i) that his movements or acts in the district or any part thereof are causing or calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property; or

(ii) that there are reasonable grounds for believing that he is engaged or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of any offence punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code, or under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 or abetment of such offence;

अभियुक्त ठिकेदारों/व्यवसायियों के पदाधिकारियों/कर्मियों आदि से रंगदारी/लेवी जैसे गभीर काण्डों में आरोपित रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. पतरातू थाना काण्ड संख्या-91/2015, दिनांक 16.04.2015, धारा-302/120बी/34 भा०द०वि०।
2. रामगढ़ थाना काण्ड संख्या-142/2018, दिनांक-14.05.2018, धारा-143/353/224/225/120बी भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए/26/30/35 आर्म्स एक्ट।
3. पतरातू थाना काण्ड संख्या-87/2020, दिनांक-06.05.2020, धारा-385/386/387/506/34 भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
4. पतरातू (भुरकुण्डा) थाना काण्ड संख्या-119/2020, दिनांक-09.06.2020, धारा- 323/341/384/385/387/34 भा०द०वि०।
5. पतरातू थाना काण्ड संख्या-88/2020, दिनांक-09.06.2020, धारा-323/341/384/385/387/34 भा०द०वि०।
6. पतरातू थाना काण्ड संख्या-228/2021, दिनांक-24.12.2021, धारा-385/387/504/506/34 भा०द०वि०।
7. पतरातू थाना काण्ड संख्या-07/2022, दिनांक-07.01.2022, धारा-385/387/341/323/34 भा०द०वि०।
8. पतरातू थाना काण्ड संख्या-142/2022, दिनांक-29.07.2022, धारा-385/386/353/504/506/34 भा०द०वि०।

उक्त अपराधिक इतिहास से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध कई संगीन मामले दर्ज है।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विरूद्ध कई मामले में सनहा भी दर्ज है। जिसकी विवरणी निम्न है :-

1. पतरातू थाना सनहा संख्या-18/2024, दिनांक-13.09.2024
2. पतरातू थाना सनहा संख्या-24/2024, दिनांक-30.10.2024

जिसमें इनके उपर ठिकेदारों/व्यवसायियों के पदाधिकारियों/कर्मियों इत्यादि को धमकाने और रंगदारी मांगने की सूचना दर्ज है। तथा ये भी अंकित है कि विपक्षी पाण्डेय गिरोह का सक्रिय सदस्य है तथा भयादोहन करने व रंगदारी मांगने का कार्य करता है। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इनके प्रभाव क्षेत्र में इस संगठन का लोगों के बीच इतना खौफ बना हुआ है कि इन लोगों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति

कुछ बोलता नहीं है और न हीं गवाही देने के लिए हिम्मत जुटा पाता है, जिसके कारण इनके द्वारा क्षेत्र में आसानी से घटना को अंजाम दिया जाता है। ये जमानत पर मुक्त होते ही अपनी दुगुनी उर्जा के साथ अपराधिक कृत्यों में शमिल हो जाता है।

असामाजिक तत्व की परिभाषा झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के धारा के 2(d) में दी गयी है जिसके अनुसार :—

"Anti-social element" means a person who-

(i) either by himself or as a member of or leader of a gang, habitually commits or attempts to commit or abets the commission of offences punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code; or

(ii) habitually commits or abets the commission of offences under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956;

(iii) who by words or otherwise promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, language, caste or community or other grounds whatsoever, feelings of enmity or hatred between different religions, racial or language groups or castes or communities; or

(iv) has been found habitually passing indecent remarks to, or teasing women or girls; or

(v) who has been convicted of an offence under sections 25,26,27, 28 or 29 of the Arms Act of 1959.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य 1984 में habitual अभिव्यक्ति की व्याख्या की गई है।

"Habitual means a thread of continuity stringing together similar repetitive acts and not some isolated, individual and "dissimilar" acts. The expression "habitually" means "repeatedly" or "persistently"

उपर उल्लेखित विपक्षी के अपराधिक इतिहास से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष गैंग के सदस्य के रूप में IPC Chapter XVI & XVII के अपराधों को habitually commit करते है। तथा ठेकेदारों से रंगदारी वसूलना तथा उसके लिए भयादोहन करने का कार्य करते हैं। पतरातू थाना काण्ड संख्या–142/2018 के दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनके उपर फायरिंग एवं हथियार रखने का गंभीर आरोप है। ये वर्तमान में माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त है।

अतः a thread of continuity stringing together similar repetitive acts हैं। और यदि इसमें कोई भी gap apparent प्रतीत होता है तो वो प्रायः इसलिए है कि विपक्षी उस दौरान न्यायिक हिरासत में था। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कारण पृच्छा अथवा बहस में इसके विपरीत

कोई दलील या साक्ष्य भी नहीं दिया गया है। अतः निःसंदेह Sec 2(d) के आलोक में विपक्षी असामाजिक तत्व है।

उपर उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी के "movements or acts in the district or any part thereof are causing or calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property; जो धारा 3(1) (b) (i) के शर्तों को भी पूरा करता है।

आपराधिक इतिहास और दर्ज सनहा से स्पष्ट है कि "that there are reasonable grounds for believing that he is engaged or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of any offence punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code, " जो 3(1) (b) (ii) की शर्तों को भी पूरा करता है। साथ ही विधानसभा निर्वाचन–2024 को शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त सम्पन्न करने हेतु इन पर जिला बदर की कार्रवाई करना आवश्यक है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास और पतरातू थाना सनहा संख्या 18/2024 और 24/2024 के आलोक में विश्वास करने का समुचित आधार है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी एक विशेष राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए अपने प्रभाव, वर्चस्व एवं भय का प्रयोग कर सकते है।

अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा बहस के दौरान दिये गये मंतव्य एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा से सहमत होते हुए विधि–व्यवस्था/लोक शांति बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुख्यात अपराधकर्मी सुभाष कुमार सिंह उर्फ बबवा, पि० –गोपाल सिंह, सा० –पतरातू बस्ती, थाना –पतरातू, जिला–रामगढ़ के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 के अध्याय–02 की धारा–3(3) के तहत् निम्न आदेश दिया जाता है :–

1. अभियुक्त को 03 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिए रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से **निष्कासन (जिला बदर)** का आदेश दिया जाता है। अभियुक्त आदेश पारित करने के 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा को छोड़ देंगे एवं 03 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश नही करेंगे।
2. यदि कोई अनुज्ञप्ति (Licence) धारित शस्त्र है तो अविलम्ब उसे स्थानीय थाने में जमा करायेंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करेंगे।
3. अभियुक्त को केवल मतदान के दिन के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु रामगढ़ जिला अंतर्गत मतदान केन्द्र तक जाने की छूट इस शर्त पर दी जाती है कि वे संबंधित थाना प्रभारी को अपने आवागमन को 24 घंटे पूर्व ही सूचित कर देगें। तदोपरांत वह पुनः

उपरोक्त आदेश के अनुपालन निमित्त जिला की सीमा से बाहर चले जाएगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु समझा जाय। इस आदेश का उल्लंघन झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–25 तथा भारतीय दण्ड संहिता, इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा। आदेश की प्रति अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को भेजें। इसी आदेश के साथ वाद निस्तार किया जाता है।

Chandan
05/11/24

उपायुक्त सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.11.28 13:24:30 +05:30
Location: 192.168.6.197